न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2020

आर.सी.एम.एस. : 2020/00148

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मांगीलाल पुत्र किस्तुररामजी, जाति भाट, निवासी ग्राम–चोटिला, तहसील रोहट, जिला पाली राजस्थान ;		1. शशिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालालजी जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8–बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान हाल निवासी–एस्सार (नायरा) कम्पनी ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07/09/2020

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रोहट द्वारा पारित सीमांकन आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/1912 दिनांक 29.07.2020 को अपास्त कराने हेतु पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 279/7 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 279/14 रकबा 10 बीघा कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा एक चक के रूप में मौजा सवाईपुरा, तहसील रोहट में स्थित है। जिस पर अपीलाण्ट पिछले 60 वर्षो से काबिज है तथा काश्त कर रहा है। वर्तमान में मुंग की फसल बोई हुई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से एक किलोमीटर दूर खसरा नम्बर 279/24 रकबा 06 बीघा भूमि को गलत पड़ौस इन्द्राज करते हुए जरिये रजिस्टर्ड बेचाण के दिनांक 20.01.2020 को क्रय की है। जिसके उपरान्त दिनांक 06.07.2020 को रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:22 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

संख्या 2 तहसीलदार रोहट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार रोहट ने आदेश क्रमांक 1462 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा टीम गठित की, उक्त गठित कमेटी की मौका फर्द दिनांक 08.07.2020 अनुसार मौके पर मूंग की फसल बोई हुई होने एवं अति. संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर का स्थगन होने से उक्त सीमांकन नहीं किया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 दिनांक 27.07.2020 को श्रीमान के समक्ष पुनः सीमांकन करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा आदेश क्रमांक एफ(12) ( )( ) राजस्व/2020/3216 दिनांक 28.07.2020 के जरिये नियमानुसार सीमांकन करने के आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को प्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार रोहट ने बिना अपीलाण्ट को सुने सीमांकन बाबत आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/1912 दिनांक 29.07.2020 कानून की मंशा के विरूद्ध जारी कर दिया। जो कानूनन काबिल निरस्त है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 31.07.2020 को मातेहत अदालत, पटवारी हल्का चोटिला एवं भू अभिलेख निरीक्षक, ढाबर को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 23.07.2020 जरिये प्रार्थना पत्र अवगत कराने के बावजूद सीमांकन आदेश दिनांक 29.07.2020 के आधार पर गठित कमेटी ने नियम विरूद्ध जाते हुए दिनांक 31.07.2020 को फर्द मौका सीमांकन बनाई, जो काबिल निरस्त है। इस संबंध में राजस्व ग्रुप–1 विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.13(25) राज/ग्रुप–1/92 जयपुर, दिनांक 07.08.1992 के द्वारा खड़ी फसल के समय पत्थर गढ़ी नहीं करने बाबत जारी किया गया है, इसके बावजूद भी तहसीलदार रोहट द्वारा गठित कमेटी ने मूंग की फसल खड़ी होते हुए भी फर्द मौका सीमांकन रिपोर्ट बनाई। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 एवं इसकी पालना में कमेटी द्वारा बनाई गई, दिनांक 31.07.2020 की फर्द मौका सीमांकन रिपोर्ट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मिथ्या आधारों पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं, जो चलने योग्य नहीं हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उसकी क्रय शुदा भूमि खसरा नम्बर 279/24 ग्राम सवाईपुरा, जिसका जिला कलक्टर, पाली के द्वारा जरिऐ आदेश क्रमांक एफ12(3)(18)संप/राज/20/906 दिनांक 25.02.2020 के द्वारा संपरिवर्तन किया गया, जिसका नामान्तरकरण उनके नाम का है तथा उसकी तरमीम की गई है। उक्त खसरे का सीमांकन कराने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा जिला कलक्टर, पाली के समक्ष दिनांक 27.07.2020 को आवेदन पेश कर निवेदन किया। जिस पर श्रीमान ने तहसीलदार रोहट को जरिये आदेश क्रमांक एफ12(12)( )राजस्व/20/3216 दिनांक 28.07.2020 से सीमांकन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया तथा तहसीलदार, रोहट ने उसी आदेश की पालना में टीम गठित कर सीमांकन की कार्यवाही की गई, जो नियमानुसार है। तहसीलदार, रोहट ने जिला कलक्टर, पाली के आदेश की पालना में सीमांकन कार्यवाही की है। चूंकि मूल आदेश [illegible] जिला कलक्टर के आदेश की अपील न्यायालय जिला कलक्टर में नहीं [illegible] जा सकती है। अतः हस्तगत अपील जिला कलक्टर, पाली के क्षेत्राधिकार [illegible] संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:22 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलक्टर, पाली

क्षेत्राधिकार की होने से अपील अपीलाण्ट प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। तहसीलदार रोहट ने उक्त सीमांकन आदेश दिनांक 29.07.2020 तहसीलदार की हैसीयत से किया है, जिसकी अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की 75(1) के अनुसार जिला कलक्टर, पाली के समक्ष नहीं की जा सकती है। तहसीलदार रोहट द्वारा सीमांकन हेतु जिस कमेटी का गठन किया है, उसने दिनांक 31.07.2020 को प्रातः 10.45 बजे खसरा नम्बर 279/24 का सीमांकन फर्द मौका तैयार कर ली थी, लेकिन अपीलाण्ट ने उक्त खसरे से संबंधित राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.07.2020 से तहसीलदार रोहट को सीमांकन होने के पश्चात अवगत कराया। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं निहित निम्न विधिक बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया जाना आवश्यक हैं, जिसके अनुसार प्रथम विधिक बिन्दु यह परिलक्षित होता है कि क्या तहसीलदार द्वारा किए गये प्रशासनकि आदेश की इस न्यायालय में अपील किया जाना न्यायोचित है या नहीं अथवा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नहीं ? इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अवगत कराया कि तहसीलदार रोहट ने सीमांकन आदेश राजस्व/2020/1912 दिनांक 29.07.2020 जिला कलक्टर, पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(12)()राजस्व/20/3216 दिनांक 28.07.2020 की पालना में जारी किया गया है तथा जिला कलक्टर के आदेश की अपील न्यायालय जिला कलक्टर में नहीं की जा सकती है। इस तथ्य के समर्थन में यह तथ्य रखा गया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75(1) के तहत भू प्रबन्ध अथवा भूमि अभिलेख से संबंधित मामलों में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से जिलाधीश को की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि सीमांकन का आदेश तहसीलदार द्वारा किया जाता है, न की जिला कलक्टर द्वारा तथा तहसीलदार के आदेश की अपील न्यायालय जिला कलक्टर में ही होती है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 23(2) सपठित प्रामि अनुसूची (न्यायिक मामलों की सूची क्र.सं. 4 पर सीमा विवाद) को न्यायिक मामलों की परिधि में इंगित किया है। इससे स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही को एक न्यायिक कार्यवाही हैं तथा सीमा विवाद में पारित आदेश की अपील होती है। तहसीलदार के आदेश की अपील न्यायालय जिला कलक्टर में ही होती है। इससे स्पष्ट है कि हस्तगत अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है।

हस्तगत अपील के संदर्भ में द्वितीय विधिक बिन्दु यह परिलक्षित होता है कि क्या तहसीलदार, रोहट द्वारा नियमानुसार सीमांकन आदेश जारी किया या नहीं ? इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 279/24 अपीलाण्ट की है तथा जिसका सीमांकन आदेश तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर के आदेश की पालना में जारी [illegible] में रेकर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर, पाली [illegible] रोहट की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2020 के अनुसार दिनांक 28.07.2020 को [illegible] पत्र में तहसीलदार की रिपोर्ट के क्रम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:22 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया था, न कि कोई न्यायिक निर्देश दिए गए है। इसके संदर्भ में विधि का परीक्षण करने पर पाया गया कि तहसीलदार को सीमांकन के संबंध में कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 110, 111 एवं 128 के तहत करनी चाहिए, जो एक न्यायिक प्रक्रिया है। पत्रावली के अवलोकन से कहीं पर भी न्यायिक प्रक्रिया का होना नहीं पाया गया, मूल पत्रावली में केवल सहायक कलक्टर, रोहट एवं राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेशों की प्रतिलिपी ही है। किसी प्रार्थी द्वारा सीमांकन करवाना है तो प्रथम ऑनलाईन आवेदन पेश करना होगा, इसके उपरान्त हल्का पटवारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश की जाती है तथा प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के पश्चात सीमांकन की कार्यवाही की जाती है। लेकिन हस्तगत प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन उपरांत न तो प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पेश किया गया है, न ही किसी प्रकार का कोई शुल्क जमा कराया गया है। इससे स्पष्टतया सरकार को राजस्व हानि हुई है। हल्का पटवारी, चोटीला एवं भू अभिलेख निरीक्षक ढाबर की मौका फर्द दिनांक 08.07.2020 के अनुसार खसरा संख्या 279/24 में मूंग की फसल की बुवाई हो चुकी है। इसके उपरान्त भी तहसीलदार रोहट द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 29.07.2020 जारी किया गया, जो स्पष्टतया राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प. 13(25)राज/ग्रुप–1/92 जयपुर, दिनांक 07.08.1992 की अवहेलना है तथा उपरोक्त समस्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने में न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

हस्तगत अपील के संदर्भ में तृतीय विधिक बिन्दु यह परिलक्षित होता है कि क्या तहसीलदार रोहट द्वारा जो सीमांकन आदेश पारित किया गया है वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना में जारी किया गया है ? इस संदर्भ में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि उन्होंने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 23.07.2020 को पारित स्थगन आदेश की प्रति से तहसीलदार रोहट को दिनांक 31.07.2020 को अवगत करा दिया था। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आते है कि तहसीलदार रोहट द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 29.07.2020 को जारी कर दिया गया था तथा इसकी पालना में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 31.07.2020 को प्रातः 10.45 बजे मौका फर्द रिपोर्ट बना दी गई थी। लेकिन अधिवक्ता अपीलाण्ट ने या अपीलाण्ट ने तहसीलदार रोहट को उक्त स्थगन के संदर्भ में दिनांक 31.07.2020 को किस समय अवगत कराया। इसका इन्द्राज ने तो पत्रावली पर है, न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट अपनी बहस में स्पष्ट किया है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार रोहट ने जैर अपील सीमांकन आदेश पारित करने में विधिवत प्रक्रिया या न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा उनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं करने से सरकार को राजस्व की हानि भी हुई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार जैर अपील आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:22 IST
Reason: SelfAttested

परिणाम स्वरूप अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार रोहट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/1912 दिनांक

Ansh
जिला कलक्टर, पाली

29.07.2020 को अपास्त किया जाता है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपनी उक्त आराजी का सीमांकन करवाना चाहता है तो वह तहसीलदार के समक्ष ऑनलाईन आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:22 IST
Reason: SelfAttested